न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, राजस्थान

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/83/2021	2021/164	20.04.2021	21.05.2024

1. नन्दकिशोर खण्डेलवाल पुत्र हजारीलाल खण्डेलवाल जाति महाजन निवासी बी–247, बुद्ध विहार, अलवर राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. अभिषेक खण्डेलवाल पुत्र नन्दकिशोर खण्डेलवाल।
2. श्रीमती शिवानी खण्डेलवाल पत्नी अभिषेक खण्डेलवाल निवासीयान बी–247, बुद्ध विहार, अलवर राज0।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर
प्रकरण संख्या 03/19/2020 निर्णय दिनांक 17.03.2021

उपस्थितः–

01. श्री विशम्भर दयाल गुप्ता –वकील अपीलांट
02. श्री अजय मोहन मुखीजा –वकील रेस्पोडेंट्स

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट्स ने यह अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के आदेश दिनांक 17.03.2021, से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान निर्णय दिनांक 17.03.2021 प्रकरण संख्या 03/19/2020 का है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक परिवाद प्रा0पत्र माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 उनवान नन्दकिशोर बनाम अभिषेक वगै0 जरिये स्पीड पोस्ट इस आशय का पेश किया कि मुझे पुत्र द्वारा लगातार प्रताडित किया जा रहा है। हम दोनों पति–पत्नी की आयु क्रमशः 72 वर्ष व 69 वर्ष है एवं प्रताडित होने के कारण हम तनाव में रहते है। हमारी सन्तान नहीं होने के कारण वर्ष 2003 में बालक गोद लिया था तब लिए गए बालक अभिषेक की आयु 13 वर्ष थी, जिसकी गोद लेने की प्रकिया वर्ष 2004 में की गयी। गोद लेने की प्रकिया उपरांत हमने पुत्र की अध्ययन की नियमित रूप से व्यवस्था की। दत्तक पुत्र अभिषेक रेस्पो0 सं0 1 को वर्ष 2011 तक (बी.टेक.) में नियमित अध्ययन करवाया गया। इसके उपरांत उसके द्वारा नौकरी करने हेतु प्रयन्त किए जिसमें उसको सफलता नहीं मिली। नौकरी नहीं मिलने के कारण उसने विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया एवं इसी कार्य के साथ उसने कोचिंग एवं ट्यूशन का भी कार्य प्रारम्भ कर दिया। काम में लगने के उपरांत हमारे दायित्व के अनुसार शादी की उम्र होने के कारण उसका विवाह करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। विवाह दिनांक 07.07.2019 को श्रीमती शिवानी खण्डेलवाल पुत्री राजेश खण्डेलवाल निवासी हरसौली रेस्पो0 सं0 2 से करवा

जिला कलक्टर
अलवर

दिया गया। विवाह का समस्त व्यय वधु पक्ष सहित (वर पक्ष एवं वधु पक्ष दोनों का) मेरे द्वारा अपनी सेवानिवृति से मिली हुई पूंजी में से खर्च किया गया। विवाह उपरांत करीब चार–पांच महिने तक तो सब कुछ शांति पूर्वक चला। इसके उपरांत मेरे दत्तक पुत्र द्वारा घर में कलह प्रारम्भ कर दिया। रोजाना झगड़ा फिसाद असभ्यता की भाषा प्रयोग करने लगा। उसकी हरकते हमारी सहनशक्ति को पार करने लगी, तो हमने उसकी इन हरकतों के बारे में कारण पूछा तो उसके बताया कि जो मकान (बी–247 वृद्ध विहार अलवर) जिसमें मैं मेरे परिवार के साथ रह रहा हूं वो अपने नाम करवाना चाहता है। यह मकान मैंने वर्ष 2002 में अपने परिश्रम एवं वेतन से बचत करके बनवाया था। जो मेरी वर्षो की मेहनत की बचत का परिणाम है। उसके समझाया कि हमाने जीवन के उपरांत सभी तुम्हारा है परन्तु उसकी जिद्द है कि आज ही मकान मेरे नाम से रजिस्ट्री करवा दी जावें। वर्तमान में उसकी अपेक्षाए ज्यादा होती जा रही है। वह अपने परिवार का खर्चा भी नहीं कर रहा है। जिसको भी मैं अपनी नैतिकता समझकर करना पड रहा है। मेरी आमदनी परिवारिक पेंशन है जो ई.पी.एस.95 के अनुसार मात्र 1255/– रूपये है। सेवानिवृत पर प्राप्त राशि के बैंक ब्याज से जो आय होती है उससे ही मेरे परिवार का खर्चा चलता है जो दिनो दिन महंगाई होने के कारण एवं खर्चे बढने के कारण कम पडने लगी है। वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। पुत्र के द्वारा रोजाना प्रताडित करने के कारण हम सदैव तनाव में रहने लगे है। मेरी पत्नी मधुमेह एवं हाईपर टेंशन रोग से पीडित है। उसके नियमित तनाव में रहने के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आती जा रही है। वह लालच में आने के कारण हमे किसी भी तरीके से हमारे जीवन को कोई नुकसान पहूंचा सकता है। उक्त सभी परिस्थितियों में हमारा जीवन शांति से व्यतीत करना मुश्किल हो रहा है। इसी आवेदन में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस मकान में मैं रहता हूं वह मेरा अपना बनाया हुआ है। उस पर किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधि0 की धारा 23 सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होना की गलत अवधारणा की है क्योंकि उक्त धारा के तहत किसी सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होने की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में जब अन्तरण शून्य हो जाने पर उस कथित मालिक को सम्पत्ति से बेदखल किया जाना आवश्यक हो जाता है अन्यथा अन्तरण शून्य की घोषणा निरर्थक हो जावेगी। जबकि उक्त मकान का मिन अपीलांट स्वंय मालिक है और इस मकान में रेस्पो0 जब तक ही रह सकते है तब तक उनसे मिल अपीलांट व उसकी पत्नी के जीवन को कोई नुकसान होने का अन्देशा ना हो। इसलिए मिन अपीलांट अधि0 की धारा 22 व 23 के तहत रेस्पो0 को अपने उक्त मकान से बेदखल कराने का हकदार है। इस प्रकार तहत अदालत द्वारा पारित आलोच्य निर्णय न्यायोचित आधार पर आधारित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलांट द्वारा जरिये स्पीड डाक भेजे गए प्रा0पत्र पर केवल मात्र रेस्पो0 को सुनकर बिना मिन अपीलांट को सूचित किए व बिना सुनवाई किए हुए आलोच्य निर्णय पारित कर दिया, जो कानूनन उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 द्वारा पेश जवाब के बाहर जाकर रेस्पो0 सं0 2 की ओर से अपनी ओर से मनमाने तथ्य जोडे गए कि अप्रार्थी रेस्पो0 सं0 2 ने कथन किया कि प्रार्थी रिश्ते में मेरे ससुर लगते है। प्रार्थी एक सेवानिवृत कर्मचारी है। अप्रार्थी सं0 1 जोकि मेरे पति है को घर से निकालकर मुझे अपने साथ घर रखना चाहते है ताकि वे अपनी विलासिला को पूर्ण कर सके। मेरे विरोध करने पर मेरे ससुर ने हम दोनों को घर से निकालने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा मेरे साथ पूर्व में भी गंदी हरकते करने की कौशिश की गई थी। जिसे मैंने अपने पति को बताया तो पति ने अपने पिता से इस तरह की हरकते नहीं करने के लिए कहा, उस पर भी मेरे ससुर द्वारा काफी क्लेश किया गया। जबकि ये तमाम तथ्य रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश जवाब प्रा0पत्र में दर्ज नहीं है। ये तथ्य अधीनस्थ न्यायालय ने स्वंय ने गढे व आलोच्य निर्णय में लिखे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिन अपीलांट पर घिनौने आरोप लगाते हुए मिन अपीलांट जो 72 साल का वृद्ध व्यक्ति है के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। मिन अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं0 1 जो कि मिन अपीलांट का दत्तक पुत्र है, को अपने उक्त मकान से बेदखल कराने की रिलीफ चाही गई है। रेस्पो0 सं0 2 जो रेस्पो0 सं0 1 की धर्मपत्नी अर्धागिनी है जब उसका पति ही उक्त मकान से

ली कलक्टर
अलवर (राज0)

बेदखल हो जावेगा तो उस सूरत में रेस्पो0 सं0 2 रेस्पो0 1 की धर्मपत्नी होने के नाते स्वतः ही बेदखली की तारीफ में होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय कानूनन सम्मत तरीके से नहीं बल्कि कानून की मंशा के विपरित बिना माईन्ड एप्लाई किये पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.03.2021 अपास्त फरमाया जाकर रेस्पो0 को मिन अपीलांट के उक्त मकान नम्बर बी–247 बुद्ध विहार अलवर से बेदखल कराये जाने की आज्ञा सादिर फरमावें। अपील के समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा W.P.A. 10835 Of 2021 रामापाडा बसक वगै0 बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वगै0 पेश की है।

विद्वान वकील रेस्पोडेंटान ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित मकान मेरा अपना बनाया हुआ है। अपीलांट मिन रेस्पो0 सं0 1 पर मानसिक व शारीरिक अत्याचार करता चला आ रहा है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है तथा अधि0 2007 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को बेदखली का आदेश प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अपीलांट द्वारा अपील में वर्णन किया गया है कि मकान उसके द्वारा बनाया गया है। अपीलांट विलासिता पूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तथा उसके पास समुचित रूप से भरण पोषण हेतु बैंक बेलेंस एवं चल अचल सम्पत्तियां है एवं मिन रेस्पो0 सं0 1 लॉकडाउन लग जाने से बेरोजगार हो गया है। रेस्पो0 सं0 1 भरण पोषण करने हेतु सशक्त नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया, कानून की मंशा देखी गई। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर के निर्णय दिनांक 17.03.2021 के संबंध में अनुतोष हेतु निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि परिवादी अपीलांट द्वारा मात्र अप्रार्थीगण रेस्पो0 को प्रश्नगत मकान संख्या बी–247, बुद्ध विहार, अलवर से बेदखल करने का कथन किया है। भरण पोषण नहीं चाहा है। जिससे प्रतीत होता है प्रकरण मकान से बेदखली का है। पक्षकारों के मध्य अन्य न्यायालयों में वाद विचाराधीन है।

उक्त अधिनियम भारतीय समाज के रीति रिवाजों पर आधारित है और व्यक्तिगत झगडे को सुलझाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ना ही उक्त मामलों में किसी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है। अपीलांट द्वारा सशर्त अन्तरण जैसा कोई दस्तावेज/इकरारना पेश नहीं किया है। रेस्पो0 सं0 2 को सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर विवाह करके घर में लाया गया है। जिन्हे अधिनियम की आड में बेघर किया जाना न्यायोचित नहीं है। अधिनियम की धारा 23 में बेदखली का कोई उल्लेख नहीं है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम 2007 निर्दिष्ट विधि अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.03.2021 उचित है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का आदेश दिनांक 17.03.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान